



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, रविवार, 24 जुलाई, 1977

श्रावण 1, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2204/सत्रह-वि०-1-55-1977

लखनऊ, 24 जुलाई, 1977

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 24 जुलाई, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1977

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अप्रति संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायेगा।

(2) यह 20 दिसम्बर, 1976 से प्रवृत्त सञ्जा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 25,
1964 की धारा
2 का संशोधन

2... उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में

(क) खंड (छ) में शब्द "कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर्ड हो" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित हो या निबन्धित समझी जाय", रख दिये जायेंगे।

(ख) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :
“(ज-1) 'निर्वाचन निदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार के समान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत निर्वाचन निदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके समस्त या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;”

(ग) खंड (म) के पश्चात् आगे हुए खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :

“(कक) 'गांव' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी-विन्यास और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में है।”

धारा 5 का
संशोधन

3... मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द “जहां पर सामान्यतः इस प्रकार के सौदे किये जाते हैं” निकाल दिये जायेंगे।

धारा 7 का
संशोधन

4... मूल अधिनियम की धारा 7 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

“(2) राज्य सरकार यदि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रधान मंडी-स्थल या उप-मंडी स्थल के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है, या उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है या विद्यमान प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी-स्थल को उद्घाटित कर सकती है, और कोई नया प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी-स्थल घोषित कर सकती है।”

धारा 13 का
प्रतिस्थापन

5... मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी; अर्थात् :—

“13 — (1) धारा 14 के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति में ऐसी अर्हतायें, जो नियत की जायें, रखने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल या उनमें से किसी के भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और ग्राम सभा से भिन्न स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि;

(दो) मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि;

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति यदि उसके पास मंडी क्षेत्र में कार्य करने के लिये लाइसेंस हो;

(चार) केंद्रीय गोदाम निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(पांच) राज्य गोदाम निगम द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मण्डी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(छः) मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त आड़तियों का एक प्रतिनिधि;

(सात) निम्नलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के प्रतिनिधि :—

(क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक न्याय पंचायतें न हों तो एक;

(ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक न्याय पंचायतें हों तो दो;

उ० प्र०
अधिनियम
संख्या 11,
1966

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 1,
1951

(आठ) निम्नलिखित संख्या में मंडी क्षेत्र के उत्पादक:—

- (क) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक न्याय पंचायतें न हों, तो पांच, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;
- (ख) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक किन्तु 30 से अनधिक न्याय पंचायतें हों तो सात, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;
- (ग) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 30 से अधिक किन्तु 40 से अनधिक न्याय पंचायतें हों तो नौ, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे; और
- (घ) यदि मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत 40 से अधिक न्याय पंचायतें हों तो ग्यारह, जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे;

जो निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे:—

(ब) गांव सभा के प्रधान जिनका क्षेत्राधिकार मंडी क्षेत्र के किसी भाग पर हो;

(भ) लोक सभा के और विधान सभा के ऐसे सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हों, जिसमें मंडी क्षेत्र या उसका भाग सम्मिलित है;

(म) ऐसी जिला परिषद् के सदस्य, जो मंडी क्षेत्र या उसके भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है;

(य) राज्य सभा और विधान परिषद् के ऐसे सदस्य और जिला परिषद् के ऐसे अध्यक्ष और क्षेत्र समिति के ऐसे प्रमुख जो मंडी क्षेत्र के भीतर किसी स्थान के निवासी हों।

स्पष्टीकरण:— निवास स्थान वही समझा जायगा जो, यथास्थिति, सदस्य, अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में उनके निर्वाचन की विज्ञप्ति में उल्लिखित हो:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (अ) या खंड (भ) में निर्दिष्ट मामलों में, जहाँ एक से अधिक मंडी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं या, यथास्थिति, जिला परिषद् के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, वहाँ मताधिकार का प्रयोग ऐसी मंडी क्षेत्र के संबंध में किया जायगा, जिसका संकेत ऐसे सदस्य द्वारा यथाविहित समय में और रीति से किया जाय।

(नौ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो सरकारी पदधारी जिनमें से एक कृषि विपणन विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा।

(2) (एक) उपधारा (1) के खंड (एक), (दो), (छः), (सात) और (आठ) के अधीन निर्वाचन के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हता और उनके निर्वाचन की और उनके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की रीति ऐसी होगी, जो नियत की जाय।

(दो) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन पर निर्वाचन निदेशक का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (तीन), (चार), (पांच) और (नौ) के अधीन सदस्यों का नाम-निर्देशन ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा, जो नियत की जाय।

(4) उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित और नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, यथास्थिति, निर्वाचन या नाम-निर्देशन के इक्कीस दिन के भीतर निदेशक के यहाँ रजिस्ट्री-कृत किया जायगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (एक), (दो), (छः), (सात) या (आठ) के अधीन निर्वाचित सदस्य, उसके इस प्रकार निर्वाचन के लिये पात्र न रहने पर सदस्य न रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खंड (तीन) या खंड (छः) या खंड (सात) के अधीन निर्वाचित सदस्य की सदस्यता केवल इसी कारण समाप्त न हो जायगी कि उसका लाइसेंस समाप्त हो गया है, यदि उसने लाइसेंस के नवीकरण के लिये तदर्थ नियत समय के भीतर प्रार्थना-पत्र दे दिया हो और वह अस्वीकृत न किया गया हो।

(6) निदेशक, यथाशक्यशीघ्र, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम और पता गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करेगा, और ऐसा दिनांक भी विज्ञापित करेगा जिस दिनांक को समिति सम्यक् रूप से संघटित की गई हो किन्तु ऐसा दिनांक, समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हो जाने के दिनांक से पूर्व का न होगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन संघटित समिति नियत रीति से अपने उत्पादक सदस्यों में से अपने सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करेगी।

(8) समिति के सदस्यों का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन उनके अपने नाम के प्रकाशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा

(6) के अधीन विज्ञापित समिति के संघटन के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर समाप्त होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जहां लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञापित द्वारा समिति का कार्यकाल कुल दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु एक बार में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(9) सभापति और उप सभापति का कार्यकाल कलेक्टर या उसके नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसे सपथ दिलाये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समिति में उनकी सदस्यता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

(10) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर इस अध्याय पर आपत्ति नहीं की जायगी कि समिति के सभापति, उप-सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था, या उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या यह कि समिति में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई अन्य त्रुटि हुई ।

(11) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सदस्य नियत अवधि के भीतर यथाविधि निर्वाचित न किया जाय तो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है।”

धारा 13-क
का बढ़ाया जाना

6---मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

“13-क—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के संबंध में, सिवाय ऐसी निर्वाचन याचिका याचिका के, जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, प्रस्तुत की जाय, कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी याचिका पर नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्ष, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है ।

(3) संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12-ग के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन याचिका पर लागू होंगे और जहां उस अधिनियम की धारा 12-ग के अधीन किसी बात का नियत किया जाना अपेक्षित हो, वहां इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में वही बात नियत की जा सकती है ।

(4) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन नियत प्राधिकारी का विनिश्चय, और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा ।”

धारा 17 का
संशोधन

7---मूल अधिनियम की धारा 17 में---

(क) खंड (3) में, उपखंड (ख) में, शब्द “प्रधान मंडी स्थल अथवा उपमंडी स्थल में” के स्थान पर शब्द “मण्डी क्षेत्र में” रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्---

“(5) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना”;

(ग) खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् ---

“(5-क) परिषद् को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर सम्मत हों, उधार देना;

(5-ख) निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें परिषद् अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना ।”

धारा 19 का
संशोधन

8---मूल अधिनियम की धारा 19 में, . .

(क) उपधारा (4) निकाल दी जायगी;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

“(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष की अपनी कुल प्राप्तियों [धारा 17 के खंड (5) के अधीन जुटाई गई धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान को छोड़कर] में से परिषद् को, अनुदान के रूप में, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो ऐसी प्राप्तियों के बस प्रतिष्ठात से अधिक न हो और जिसे परिषद् समय-समय पर निश्चित करे ।”

संयुक्त प्रा.
अधिनियम
संख्या 2
1947

9---मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

धारा 24 का संशोधन

“(ख) समिति के किसी कर्मचारी के उपेक्षा, बुराचरण या कर्तव्यव्यति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्त प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए देना, और यदि इसके लिए अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करेगा;”

10---मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द “समिति” के स्थान पर शब्द “परिषद् या समिति” रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

11---मूल अधिनियम की धारा 26-ख में:—

धारा 26-ख का संशोधन

(क) उपधारा (1) में:—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश यदि वह अभ्यक्ष न हों;”

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(घ) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव या जहां उक्त विभाग के लिए कोई पृथक् सचिव न हो, वहां उक्त विभाग का, यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव;”

(तीन) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(च-1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,

(च-2) निदेशक, औद्योगिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश;

(च-3) राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(च-4) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;”

(चार) खण्ड (छ) में, जहां कहीं भी शब्द “तीन” आया हो, उसके स्थान पर शब्द “छः” रख दिया जायगा;

... (पांच) खण्ड (दो) में, शब्द “एक व्यक्ति” के स्थान पर शब्द “दो व्यक्ति” रख दिये जायेंगे, और शब्द “कोई व्यापारी अथवा आढ़ती” के स्थान पर शब्द “कोई दो व्यापारी या आढ़ती” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द “अपर कृषि निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है”, के पश्चात् शब्द “और खण्ड (च-1) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो भारत सरकार के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और खण्ड (च-2) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो अपर निदेशक, औद्योगिकी एवं फलोपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है” बढ़ा दिये जायेंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 26-घ में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

धारा 26-घ का संशोधन

“(2) धारा 26-ख की उपधारा (1) के खण्ड (च-4) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य की परिषद् में सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति पद पर न रह जाने पर या मंडी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायगी।”

13---मूल अधिनियम की धारा 26-झ में, शब्द “अपने द्वारा नियुक्त किसी उप समिति के” के स्थान पर शब्द “अपने द्वारा नियुक्त किसी उप समिति या निदेशक या” रख दिये जायेंगे।

धारा 26-झ का संशोधन

14---मूल अधिनियम की धारा 26-ठ में,---

धारा 26-ठ का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (1) में, शब्द “मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास” के स्थान पर शब्द “नये मंडी-स्थलों के निर्माण और वर्तमान मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (9) में, शब्द “वित्तीय सहायता” के पश्चात् शब्द “और उधार” रख दिये जायेंगे।

15---मूल अधिनियम की धारा 33 में, शब्द “परिषद् को या उसके किसी अधिकारी को” के स्थान पर शब्द “परिषद् को या निदेशक को” रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

धारा 35 का
प्रतिस्थापन

16---मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“35---परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को, देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।”

धारा 36 का
प्रतिस्थापन

17---मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“36---(1) मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निम्नलिखित प्राधिकृत कोई अधिकारी---

प्रवेश करने,
तलाशी लेने
और अभिग्रहण
करने का अधिकार

(क) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा-बहियों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ पर ऐसी लेखा-बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा जाता हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण जो आवश्यक समझे जायें, ले सकता है या लिवा सकता है;

(ख) किसी लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज की तालिका को तैयार कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को दी जायगी;

(ग) किसी ऐसे कृषि उत्पादन को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिए प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरुद्ध कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो:

प्रतिबन्ध यह है कि कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने वाला व्यक्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध, यथाशक्य, उपर्युक्त अभिगृहीत कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत सम्पत्ति पर लागू होते हैं:

अप्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिगृहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित रूप में दी जायगी।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।”

धारा 37 का
प्रतिस्थापन

18---मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“37---(1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर--

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से जो 90 दिन तक हो सकता है, या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो

सकता है या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है,

दण्डनीय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण, जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना दो सौ पचास रुपये से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपये से कम न होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे, बीस रुपये के अग्रतर जुर्माना से दण्डनीय होगा।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाय, तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मंडी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मंडी समिति को भुगतान कर सकता है।"

19--मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

नई धारा 37-क
का बढ़ाया जाना

"37-क--(1) कोई मंडी समिति या उसकी उप समिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति अपराध का शमन किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्य फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, शमन फीस के रूप में पांच सौ रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।"

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष-मुक्त हो जायगा।"

अध्याय-तीन

[उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम,
1972 का संशोधन

20--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, अंक "1976" के स्थान पर अंक "1977" रख दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 7,
1972 की धारा
2 का संशोधन

अध्याय-चार

प्रकीर्ण

21--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसित और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त (धारा 2 और धारा 20 में निर्दिष्ट) अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन इस प्रकार किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

खिनि
197

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 8,
1977

No. 2204(2)/XVII-V—1-55-1977

Dated Lucknow, July 24, 1977

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Saushodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 24, 1977.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (AMENDMENT) ACT, 1977

[U. P. ACT No. 6 of 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-eight Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Act, 1977.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 20, 1976.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964

Amendment of section 2 of U.P. Act 25 of 1964.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act)—

(a) in clause (g), for the words "registered under the provisions of Co-operative Societies Act, 1912", the words "registered or deemed to be registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965" shall be substituted;

(b) after clause (h) the following clause shall be inserted, namely:—

"(h-1) 'Director of Elections' means an officer appointed by the State Government in this behalf by general or special order, and includes any other officer authorised by the Director of Elections to perform all or any of his functions under this Act";

(c) for clause (aa), occurring after clause (y), the following clause shall be substituted, namely:—

"(aa) 'village' shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950."

Amendment of section 5. 3. In section 5 of the principal Act, the words "wherein such transactions are usually carried on," shall be omitted.

Amendment of section 7. 4. Section 7 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) The State Government where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Gazette,

include any area in or exclude any area from the area of a Principal Market Yard or Sub-Market Yard or abolish the existing Principal Market Yard or Sub-Market Yards and declare a new Principal Market Yard or Sub-Market Yards."

5. For section 13 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 13.

"13. (1) A Committee, other than the First Committee constituted under section 14, shall consist of the following members possessing such qualifications as may be prescribed—

(i) one representative of the local bodies, other than the Zila Parishad, Kshettra Samitis and Gram Sabhas, exercising jurisdiction over the Principal Market Yard or Sub-Market Yard, or part of either;

(ii) one representative of the Co-operative Marketing Societies holding licence for transacting business in the Market Area;

(iii) one nominee of the Food Corporation of India, if he is holding a licence for transacting business in the Market Area;

(iv) one nominee of the Central Warehousing Corporation if it runs a warehouse in the Market Area;

(v) one nominee of the State Warehousing Corporation if it runs a warehouse in the Market Area;

(vi) one representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding licence therefor under this Act;

(vii) following number of representatives of traders carrying on business in the Market Area and holding licence therefor under this Act:

(a) ONE, if the Market Area covers not more than 20 Nyaya Panchayats;

(b) TWO, if the Market Area covers more than 20 Nyaya Panchayats;

(viii) following number of producers of the Market Area:—

(a) if the Market Area covers not more than 20 Nyaya Panchayats, five, out of which one shall be of Scheduled Castes;

(b) if the Market Area covers more than 20 but not more than 30 Nyaya Panchayats, seven out of which one shall be of Scheduled Castes;

(c) if the Market Area covers more than 30 but not more than 40 Nyaya Panchayats, nine, out of which two shall be of Scheduled Castes; and

(d) if the Market Area covers more than 40 Nyaya Panchayats, eleven, out of which two shall be of Scheduled Castes;

to be elected by—

(w) Pradhans of the Gaon Sabhas having jurisdiction over any part of the Market Area;

(x) such members of the House of the People and of the State Legislative Assembly as are elected from a constituency comprising the market area or part thereof;

(y) the members of the Zila Parishad exercising jurisdiction over the market area or part thereof;

(z) such members of the Rajya Sabha and of the Vidhan Parishad and Adhyakshas of Zila Parishads and such Pramukhs of the Kshetra Samitis as are residents of a place within the Market Area.

Explanation—The place of residence shall be deemed to be the same as mentioned in the notification of their election as such member, Adhyaksha or Pramukh, as the case may be :

Provided that in cases referred to in clause (x) or clause (y), where the constituency comprises, or as the case may be, the Zila Parishad exercises jurisdiction over more than one market areas, the right of vote shall be exercised in relation to such market area as is indicated by such member within such time and in such manner as may be prescribed ;

(ix) two Government officials nominated by the State Government of whom one shall be a representative of the Agriculture Marketing Department and the other of the Food and Civil Supplies Department ;

(2) (i) The qualifications of persons eligible for election under clauses (i), (ii), (vi), (vii) and (viii) of sub-section (1) and the manner of their election and the delimitation of the constituencies therefor, shall be such as may be prescribed.

(ii) The Director of Elections shall have general superintendence and control over the elections under this Act.

(3) The nomination of the members under clauses (iii), (iv), (v) and (ix) of sub-section (1) shall be made in such manner and within such period as may be prescribed.

(4) The name of every member elected or nominated under sub-section (1) shall be registered with the Director within twenty-one days of the election or nomination, as the case may be.

(5) A member elected under clauses (i), (ii), (vi), (vii) or (viii) of sub-section (1) shall cease to be member on his ceasing to be eligible for election as such :

Provided that a member elected under clause (iii) or clause (vi) or clause (vii) of sub-section (1) shall not cease to be a member for the reason merely of his ceasing to hold a licence, if he has moved an application for renewal of the licence within the time prescribed therefor and the same has not been rejected.

(6) The Director shall, as soon as may be, publish by notification in the *Gazette*, the names and addresses of the persons elected or nominated, and also notify the date on which the Committee has been duly constituted which shall not be earlier than the date on which the names of at least three-fourths of its members have been so published.

(7) The Committee constituted under sub-section (6) shall elect its Chairman and Vice-Chairman from amongst its producer members in the manner prescribed.

(8) The term of office of the members of the Committee shall commence from the respective dates of publication of their names under sub-section (6) and shall, save as otherwise provided, expire on the expiration of a period of five years from the date of the constitution of the Committee notified under sub-section (6) :

Provided that the State Government, where it considers necessary or expedient so to do, in public interest, may, by notification, extend the term of the Committee for a total period of two years but at a time the period of extension shall not exceed one year.

(9) The term of office of the Chairman or the Vice-Chairman shall commence from the date of his having taken oath administered by the Collector or his nominee and shall, save as otherwise provided for in this Act, expire with the term of their membership of the Committee.

(10) No proceeding, or act done by or on behalf of the Committee shall be questioned on the ground of want of any qualifications, or defect in the election or nomination, of any person as Chairman, Vice-Chairman or Member of the Committee, or on the ground of any vacancy, or any other defect in the constitution of the Committee.

(11) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), where a member is not duly elected within the prescribed period, the State Government may appoint any suitable person falling in that class as member of the Committee."

6. After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 13-A.

"13-A. (1) No election under this Act shall be called in question except by a petition presented to such authority within such time as may be prescribed.

Election Petitions.

(2) Any party aggrieved by an order of the prescribed authority upon a petition under sub-section (1), may within thirty days from the date of such order prefer a revision to the District Judge.

(3) The provisions of section 12-C of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947, shall *mutatis mutandis* apply to election petitions under sub-section (1) and where anything is required to be prescribed under section 12-C of that Act similar thing may be prescribed in the rules framed under this Act.

(4) The decision of the prescribed authority, subject to any order passed by the revising authority under this section, and every decision of the revising authority passed under this section shall be final."

7. In section 17 of the principal Act—

Amendment of section 17.

(a) in clause (iii), in sub-clause (b), for the words "in the principal Market Yard or a Sub-Market Yard" the words "in the market area" shall be substituted ;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) raise from the State Government or the Board or, subject to previous sanction by the Board, from any other Committee or a recognised financial institution, moneys required for discharging its functions under this Act ;"

(c) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

"(v-a) advance loans to the Board on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the Board and the Committee ;

(v-b) advance loans to any other Committee subject to previous sanction of the Director on such terms and conditions as the Board may determine ;"

8. In section 19 of the principal Act—

Amendment of section 19.

(a) sub-section (4), shall be omitted ;

(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) Every Committee shall, out of its total receipts [excluding moneys raised under clause (v) of section 17 and grants made by the State or Central Government] in the financial year, pay to the Board as contribution such amount not exceeding 10 per cent of such receipts as the Board may fix from time to time."

9. In section 24 of the principal Act, in sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely— Amendment of section 24.

"(b) report cases of neglect, misconduct or dereliction of duty by an employee of the Committee to the appointing authority for necessary action, and where so empowered, take disciplinary action against any of the employees of the Committee."

- Amendment of section 26. 10. In section 26 of the principal Act, for the words "a Committee" the words "the Board or a Committee" shall be *substituted*.
- Amendment of section 26-B. 11. In section 26-B of the principal Act—
- (a) in sub-section (1)—
- (i) for clause (a), the following clause shall be *substituted*, namely—
- "(a) the Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh if he is not the Chairman;"
- (ii) for clause (d), the following clause shall be *substituted*, namely—
- "(d) the Secretary to the State Government in the Agriculture Department or where there is no separate Secretary for the said Department, then the Special Secretary or Joint Secretary, as the case may be, in that Department;"
- (iii) after clause (f), the following clause shall be *inserted*, namely—
- "(f-1) the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (f-2) the Director, Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh;
- (f-3) the State Agricultural Marketing Officer, Uttar Pradesh;
- (f-4) the Vice-Chancellor of any of the Universities established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogic Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 1958 to be nominated by the State Government;"
- (iv) in clause (g) for the word "three" wherever occurring, the word "six" shall be *substituted*;
- (v) in clause (h), for the words "one person" the words "two persons" shall be *substituted*, and for the words "any trader or commission agent" the words "any two traders or commission agents" shall be *substituted*;
- (b) in sub-section (3), after the words "Additional Director of Agriculture", the words "and the member referred to in clause (f-1) may depute an officer not below the rank of Joint Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, and the member referred to in clause (f-2) may depute an officer not below the rank of Additional Director, Horticulture and Fruit Utilization", shall be *inserted*.
- Amendment of section 26-D. 12. In section 26-D, of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—
- "(2) A member appointed under clause (f-4) or clause (g) or clause (h) of sub-section (1) of section 26-B shall cease to be a member of the Board as soon as he ceases to be such Vice-Chancellor or elected member of the Market Committee, as the case may be."
- Amendment of section 26-I. 13. In section 26-I of the principal Act, after the words "Sub-Committee appointed by it or to" the words "the Director or" shall be *inserted*.
- Amendment of section 26-L. 14. In section 26-L of the principal Act:—
- (a) in sub-section (1), in clause (i), for the words "development of the Markets and Market Areas", the words "construction of new market yards and development of existing markets and market areas" shall be *substituted*,
- (b) in sub-section (2), in clause (ix), after the word "subventions" the words "and loans" shall be *inserted*.
- Amendment of section 33. 15. In section 33 of the principal Act, for the words "to the Board or to any of its officers", the words "to the Board or to the Director" shall be *substituted*.

16. For section 35 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 35.

"35. Any sum due to the State Government from the Board or a Committee, or to the Board from a Committee, or to a Committee from another Committee may be recovered as arrears of land revenue."

17. For section 36 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 36.

"36. (1) The Secretary of the market Committee or any officer authorised by the State Government or the Board in Powers of entry, search and seizure, this behalf, may :—

(a) for carrying out any of the duties imposed on the Market Committee under this Act, inspect at all reasonable time, all accounts, registers and other documents pertaining to the purchase and sale of agricultural produce and enter any shop, godown, factory or other place where such account books or registers or other documents or such goods are kept and take or cause to be taken such copies or extracts from such account books, registers and other documents as may be considered necessary ;

(b) seize any account books, registers or other documents for reasons to be recorded in writing and prepare an inventory of such account books, registers and other documents, provided that a copy of such inventory shall be furnished to the person in charge of such account books, registers or other documents ;

(c) seize any agricultural produce in respect of which he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is about to be committed ;

(d) seize any vehicle or animal which he has reason to believe to be in use or to have been used for carrying such agricultural produce and detain the same for so long as may be necessary in connection with any proceeding or prosecution under this Act :

Provided that a report of the seizure shall forthwith be made by the person seizing the agricultural produce, vehicle or animal to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act, and the provisions of sections 457, 458 and 459 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, as far as may be, apply in relation to the agricultural produce, vehicle or animal seized as aforesaid, as they apply to property seized by a police officer :

Provided further that the grounds for seizing any such agricultural produce, vehicle or animal shall be communicated in writing within twenty-four hours of the seizure to the person from whose possession the same was seized, and to the Magistrate having jurisdiction to try offences under this Act.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures made under this section."

18. For section 37 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Substitution of section 37.

"37. (1) Any person who contravenes any of the provisions of section 9 or section 10 or the rules or bye-laws made thereunder shall, on conviction, be punished :—

(a) for the first offence, with fine which may extend to five hundred rupees ;

(b) for a second and any subsequent offence of the same nature with imprisonment which may extend to 90 days, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and in case of continuing contravention, with a further fine up to rupees one

Act 2 of 1974.

Act 2 of 1974.

hundred for every day subsequent to the date of second conviction or any subsequent conviction for which the contravention has continued :

Provided that in the absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgment of the court the fine for the first offence shall not be less than two hundred and fifty rupees and for the second or subsequent offence shall not be less than five hundred rupees.

(2) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder, except the provisions of sections 9 and 10 and the rules and bye-laws made thereunder, shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees and in the case of continuing contravention with a further fine of twenty rupees for every day subsequent to the date of the first conviction for which the contravention has continued.

(3) Whenever any person is convicted of an offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay to the Market Committee, the amount of fee or any other amount, due from him under this Act or the rules or bye-laws made thereunder and may, in his discretion also recover summarily and pay to the Market Committee costs of the prosecution."

Insertion of new section 37-A.

19. After section 37 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :-

"37-A. (1) A market committee or its sub-committee or with the authorisation by a resolution of a committee, its Chairman, may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act in addition to the fee or other amount recoverable from him, a sum of money not exceeding rupees five hundred by way of composition fee and compound the offence.

(2) On the composition of any offence under sub-section (1) no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any Court, the composition shall have the effect of his acquittal."

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) ADHINIYAM, 1972

Amendment of section 2 of U. P. Act 7 of 1972.

20. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, for the figures "1976" the figures "1977" shall be substituted.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

Repeal and savings

21. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Acts (referred to in section 2 and section 20), as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

ब्रज से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

U. P.
Ordinance
no. 6 of
1977.

उत्तर
की श
किया